

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर
पत्रांक / मान्यता / १९७ / २०१५-१६, दिनांक २१-४-१५

प्रबन्धक,

आरोजे०इण्टरनेशनल जू०हा०स्कूल, ग्राम माडलपुर

विकास खण्ड जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर


विषय—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—२००९ की धारा १८ के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, २०१० के नियम १५ उपनियम (४) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख ३०.०८.२०१४ के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं उपरोक्त विद्यालय को नवीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी कक्षा से कक्षा ०८ तक के लिये अग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है—

१. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा ०८ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई मान्यता विवक्षित नहीं है।
२. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ (उपाबन्ध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम—२०१० (उपाबन्ध २) के उपबंधों का पालन करेगा।
३. विद्यालय कक्षा १ में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस—पड़ौंस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
४. पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
५. सोसाईटी/विद्यालय किसी कॉपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
६. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबंधो का पालन करेगा।
विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—
 - i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।


HARSH
PRINCIPAL
R. J. INTERNATIONAL
JUNIOR HIGH SCHOOL
MODALPUR, JEWAR
G. B. NAGAR (U.P.)

- ii. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
- iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है और
- viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	7000 मी०
कुल निर्भित क्षेत्रफल	7200 फीट
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	शेष कीड़ा स्थल
कक्षों की संख्या	12
प्राध्यापक—सहकार्यालय—सहभंडागार के लिये कक्ष	02
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	उपलब्ध है।
मिड-डे—मील पकाने के लिये रसोई	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच	है।
अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूल उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	
—है।	

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

PRINCIPAL
R. J. INTERNATIONAL
JUNIOR HIGH SCHOOL
MODALPUR, JEWAR
G.B NAGAR (U.P.)

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक ६३-८५-१२७ है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याका का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र / छात्राओं के बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करे।
16. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

[Signature]
PRINCIPAL
R. J. INTERNATIONAL
JUNIOR HIGH SCHOOL
MODALPUR, JEWAR
G B NAGAR (U P.)